उठाकर वादग्रस्त आराजियात अप्रार्थीगण के पूर्वज काना व रतना के द्वारा स्वयं के नाम दर्ज करवाकर बेचान कर दी गई जबकि आराजियात पर उनका कोई हक नहीं था। अब उक्त अविधिक इन्द्राज के आधार पर कुछ आराजियात का बेचान किया जा चुका है एवं प्रार्थीगण के विधिक अधिकारों से महरूम रखने के लिये बेदखल करने पर आमादा है। अतः ताफैसला मूल वाद अप्रार्थीगण को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस सुनी जाकर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के हक में प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी दिनांक 10.02.2026 तक पाबन्द किया जाता है कि उक्त वर्णित वादग्रस्त आराजियात के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनायी रखी जावे। यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश राजकार्य एवं रास्ते के विवाद के सम्बन्ध में लागू नहीं होगा। अप्रार्थीगण के नाम नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 10.02.2026 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (मु0)
अजमेर
सहायक कलक्टर (मु॰), अजमेर

28/1/26 वकील प्रार्थीगण व स्वयं प्रार्थी उप०। प्रार्थीगण मूल वाद में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर वाद राजीनामा हो जाने के कारण इसी स्तर पर डिक्री करने का निवेदन करने पर मूल वाद जरिये डिक्री खारिज किया जा चुका है। मूल वाद जरिये डिक्री खारिज होने से इस अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को आगे चलाने का कोई आधार नहीं रह गया है एवं प्रार्थना-पत्र सारहीन हो गया है। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना-पत्र भी मूल वाद के साथ जरिये डिक्री खारिज किया जाता है। प्रार्थना-पत्र पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

मुकर्रर
Scrutinised by me
28.1.26

सहायक कलक्टर (मु॰), अजमेर